न्यायालय–अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कोर्ट संख्या–03,अलीगढ।
केस संख्या–320/2017
चेतनराज सिंह राना पुत्र उग्रवीर सिंह राना निवासी–ग्राम व पोस्ट पाली रजापुर मडरांक रेलवे स्टेशनके पास, पी.एस. मडरांक अलीगढ।

बनाम

भूपेन्द्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह निवासी–मकान संख्या–3/291 ए दर्शन विला निकट पामट्री होटल मैरिस रोड, पी0एस0. थाना क्वार्सी जनपद–अलीगढ।

दिनांक–25–07–2017:–

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई । परिवादी के विद्धान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर पूर्व नियत दिनांक पर सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में परिवादी के कथनानुसार परिवादी व विपक्षी एक दूसरे से भली भांति परिचित है। विपक्षी ने परिवादी से आर्थिक सहायता मांगे जाने पर लिये गये धन को वापस करन के आश्वासन व विश्वास पर परिवादी ने क्रमशः दिनांक–19.6.2014,20.6.2014,24.06.2014,12.08.2014,13,8,2014,23.09.2014 तथा 16.01.2015 में आर्थिक सहायता के रूपमें चैक्स के माध्यम से कुल तीन लाख पचास हजार रूपये अपने खाते से विपक्षी को उधार दियें परिवादी नेजब विपक्षी से अपना धन वापस मांगा तो विपक्षी ने उक्त उधार लिये गये धन के भुगतान में अपने केनरा बैक मुख्य शाखा रेलवे रोड अलीगढ के खाते के क्रमशः चैक संख्या–867102 दिनांक–25.09.2015,867103 दिनांक–30.09.2015, 867104 दिनांक–07.10.2015, 867105 दिनांक–12.10.2015 तथा 867107 दिनांक–20.10.2015 प्रत्येक साठ साठ हजार रूपये के कुल तीन लाख रूपये के अपने हस्ताक्षर व भरकर इस आश्वासन व विश्वास के साथ दिये कि नियत दिनांक या चैक समयावधि में खाते में जमा करने पर चैकों का भुगतान हो जायेगा तथा शेष धनराशि मु0 पचास हजार रूपये का भुगतान उक्त चैकों के भुगतान के बाद परिवादी को अदा करने का भरोसा दिया। परिवादी ने उपरोक्त चैक्स अपने खाता स्थित एस.डी.एफ.सी. बैक मसूदाबाद शााखा अलीगढ में दिनांक–18.11.2015 को चैक समयावधि के अन्तर्गत जमा किये परन्तु विपक्षी बैक ने अपनी भिन्न भिन्न मीमो दिनाकित–19.11.2015 में अंकित टिप्पणी निधि अपर्याप्त के साथ परिवादी बैक को बिना भुगतान किये वापस कर दिये जिसकी सूचना परिवादी को उसकी बैक दिनांक–05.12.2015 को दी और उसी दिनांक व दिन परिवादी अपनी बैक से प्रश्नगत चैक्स वापिस लाया। परिवादी ने चैकस अनादरित होने पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से विपक्षी को नोटिस दिनांक–01.01.2016 को दिया जो विपक्षी को दिनांक–05.01.2016 को तामीला हो गया इसके पश्चात भी विपक्षी ने परिवादी को चैकों में वर्णित धनराशि का भुगतान नही किया। इस कारण परिवादी ने यह परिवाद प्रस्तुत किया।

परिवादी ने अपने धारा–200 द0प्र0सं0 के तहत शपथ पत्र एवं प्रलेखीय साक्ष्य में फेहरिस्त से असल चैक संख्या–867102 दिनाक–25.09.2015,67103 दिनांक–30.09.2015, 867104 दिनांक–07.10.2015, 867105 दिनांक–12.10.2015 तथा 867107 दिनांक–20.10.2015 प्रत्येक साठ साठ हजार रूपये के,प्रत्येक चैक की मूल वापसी मीमो,असल नोटिस की प्रति, असल रजि0 की रसीद को दाखिल किया है।

परिवादी द्धारा अपने प्रार्थना पत्र/परिवादपत्र में विपक्षी द्धारा अपने खाते का हस्ताक्षरयुक्त चैकों को जारी किये जाने का कथन किया है और कहा है कि उसके द्धारा विपक्षी से प्राप्त चैकों को भुगतान हेतु बैक में प्रदत्त किया गया

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPAL040022902016/truecopy/order-1.pdf

तो उपरोक्त चैकों को बैक से अपर्याप्त धनराशि की टिप्पणी के साथ वापस प्राप्त हुआ और चैक के अनादरण के सम्बन्ध में परिवादी ने विपक्षी को नोटिस दिया,इसके पश्चात भी विपक्षी ने चैकों में वर्णित धनराशि का भुगतान नही किया। प्रार्थी के द्धारा अपने कथन के समर्थन में अपने शपथ पत्र से किया है तथा मूल चैकों को पत्रावली पर दाखिल किया है जिस पर विपक्षी की चैक बुक से जारी होना इस स्तर पर परिलक्षित होता है। बैक से प्राप्त मेमो से यह दर्शित है कि उक्त विपक्षी द्धारा प्रदत्त चैकों को विना भुगतान वापस प्राप्त हुये। परिवादी द्धारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस दिये जाने के पश्चात भी विपक्षी द्धारा अनादरित चैकों का भुगतान नही किये जाने का कथन किया है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व शपथ पत्र से प्रथम दृष्टिया विपक्षी के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा–138 परक्राम्य विलेख अधिनियम का प्रथम दृश्टिया बनता प्रकट होता है,। परिणामतः अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह को धारा–138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के अपराध के विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह को धारा–138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के अपराध के विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादी आवश्यक पैरवी अन्दर सात दिन करें ,गवाहान की लिस्ट दाखिल करें। पत्रावली वास्ते हाजिरी मुल्जिम दिनांक–25–09–2017 को पेश हो।

दिनांक–25–07–2017

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट सं0–3,अलीगढ

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPAL040022902016/truecopy/order-1.pdf